

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।

क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(सामान्य)डीएलवी/17/५२८३

जयपुर, दिनांक: ०५/०९/२०१२

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी कल्याण योजना के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कायों को शिविर ने निष्पादित करने में आ रही कठिनाईयों के निष्टारण के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रेषित है—

मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर के दौरान उठाये गए बिन्दुओं का मार्गदर्शन

क्र. सं.	नगरीय निकाय	प्रश्न	विभागीय जवाब
1	जैतारण	शिविर अवधि के दौरान राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 26 के तहत पट्टे/लौज ढोड पर आयुक्त/अधिकारी अधिकारी के एकल हस्ताक्षर कर जारी करने के जारी आदेश दिनांक 25.05.17 के अंतर्गत क्या 90 वीं, स्टेट ग्रान्ट, कच्ची बस्ती के पट्टे भी एकल हस्ताक्षर से जारी किये जा सकते हैं।	विभागीय आदेश दिनांक 25.05.17 द्वारा शिविर अवधि के दौरान आयुक्त/अधिकारी अधिकारी को सभी प्रकार के पट्टे उनके एकल हस्ताक्षर से जारी करने के अधिकार दिये गए हैं।
2	सुमेरपुर	नरेन्द्र कुमार पुत्र सांकलचंद को विवेकानन्द कॉलोनी में भूखण्ड सं. 142 सार्जन 20 ग'49' दिनांक 08.02.85 को आवंटित किया गया जिस पर निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने से आवंटी को नोटिस दिनांक 05.03.91 एवं 15.09.09 दिये गये लेकिन निर्माण नहीं करने से पड़ोसी भूखण्डधारियों द्वारा किये गए निर्माण से भूखण्ड 7 ग'49' ही रह गया। प्रार्थी ने पूर्ण भूखण्ड की मांग की है। मण्डल बैठक दिनांक 03.06.11 में प्रार्थी को पूर्ण भूखण्ड अन्यत्र उपलब्ध करनो का निर्णय लिया है। मार्गदर्शन देये।	आवंटित भूखण्ड पर पड़ोसियों द्वारा आवंटित भूमि से अधिक भूमि पर किये गए अतिरिक्त निर्माण को विवित ठटाये जाना संभव हो तो उक्त निर्माण को हटाकर भूखण्ड संख्या 142 के आवंटी की कब्जा किये जाने की कार्यवाही की जावे। ऐसा किया जाना संभव नहीं होने की स्थिति में आवंटी को एकसंचेत्न में समनुल्य तथा सम क्षेत्रफल का भूखण्ड राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69 के प्रावधान अनुसार दिया जाये।
3	जोधपुर	मूल आवंटी को क्वार्टर नं. 418 कमला नहर, नगर प्रथम विस्तार में 216 गासिक किश्तों पर आवंटित किया गया था जिसकी किश्ते आवंटी ने जमा नहीं कराई और उक्त क्वार्टर श्री सुमार खां को बेचान कर दिया जो अब उक्त क्वार्टर को अपने नाम हस्तान्तरित करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जावे।	विभागीय आदेश 1516-30 दिनांक 25.04.17 के बिन्दु सं 21 के प्रावधानानुसार पूर्ण बकाया राशि एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.05.17 के बिन्दु 4 के अनुसार अतिम क्रीता से आरक्षित दर की, 10 प्रतिशत राशि पेनेल्टी के रूप में जमा ली जा कर पट्टा देने की कार्यवाही की जावे।
4	ब्यावर	राजस्थान ग्राम फर्मेहपुरिया के खसरा नं. 141 व गढ़ीथोरियान के खसरा नं. 123 का भू-उपयोग आवासीय है जबकि खसरा नं. 687 ग्राम सेदरिया का भू-उपयोग हाई वे काशीडोर है, अत उक्त क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भू-उपयोग करने बाबत क्या प्रक्रिया अपनाई जावे।	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 20.07.17 में घिकित्सा केन्द्रों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करना जनहित का कार्य होने से अनुज्ञाय किया है, अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये संस्थानित भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।

		<p>प्रचार्यत के जारी पढ़ा जा रहा है। इसका उपलब्ध नहीं होने से ऐसे पढ़ों के विधिसम्मत होने की जांच किस प्रकार की जाए तथा इनका पर्जीयन कैसे करवाया जाए।</p>	<p>इस अधिकारी द्वारा जनरित विधिसम्मत समिति / जिला कलेक्टर शास्त्रीय से प्राप्त करने का प्रयास किया जावे तथा पढ़ों के मौका स्थलों से भिलान जांच कर आपस्ति सूचना जारी की जावे। तत्परताहत उभी तथ्यों की वर्तमान में प्रवाहित अधिसूचनाओं गे आदेशों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण हर एम्पायर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे, जांच तथा सही व विधिसम्मत पाए गए पढ़ों को पुनर्वध (रिवेलेटेड) कर विधिवत पर्जीयन कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो पढ़टे विधि सम्मत नहीं है उनसे आदेश दिनांक 21.09.12 के अन्तर्गत राजकीय भूमि के नियमन हेतु निर्धारित नियमन राशि बसूल कर पटटा जारी किया जावे।</p>
6	टोडारायसिंह	<p>धाकड़ कॉलोनी के खसरा न 4276 रकमा०-५२ है० मैं से ०-१३ है० का कृषि से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?</p>	<p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनरित याचिका सं. 1554/04 के निर्णय दिनांक 12.01.17 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.07.17 में शिक्षण संस्थानों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करना जनरित का कार्य होने से अनुशेय किया है, अतः उपरोक्तानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।</p>
7	मालपुरा	<p>श्री तिलक बाल विद्यापीठ शिक्षा समिति के लिये भूमि का कृषि से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.17 के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?</p>	<p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनरित याचिका सं. 1554/04 के निर्णय दिनांक 12.01.17 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.07.17 में शिक्षण संस्थानों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करना जनरित का कार्य होने से अनुशेय किया है, अतः उपरोक्तानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।</p>
8	टोक	<p>निकाय क्षेत्र में आवादी के बीच स्कूल अस्पताल खोलने पर भू-उपयोग परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा विषयक प्रकाशित समाचार पर नार्ग दर्शन</p>	<p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनरित याचिका सं. 1554/04 के निर्णय दिनांक 12.01.17 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.07.17 में शिक्षण संस्थानों / चिकित्सा संस्थानों के लिये भू-उपयोग परिवर्तन करना जनरित का कार्य होने से अनुशेय किया है, अतः उपरोक्तानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।</p>
9	नियाई	<p>कृषि भूमि ऊपरी ऊपरीतरण के प्रकरणों में पूर्व में एक वर्ष की लीज जमा कर पड़े जारी किये हैं। ऐसे अनेक आवेदकों ने एकमुश्त लीज जमा कराने हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में बकाया लीज व एक बारीय लीज किस आधार पर जमा की जाएगी।</p>	<p>ऐसे पढ़ों पर अब तक की बकाया लीज पूर्व में ली गई प्रतिवर्ष की लीज के आधार पर जमा की जावे तथा आगे की लीज एकमुश्त जमा करने की कार्यवाही राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार की जाए।</p>
10	ब्यावर	<p>भूमि आवंटन नीति-2015 के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को निःशुल्क भूमि आवंटन किये जाने के उपरान्त लीज राशि जमा कराये दिना क्या भूमि आवंटन किया</p>	<p>नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक 2002 दिनांक 25.11.16 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अधिकतम 4000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन करने का प्रावधान</p>

		प्रा. 11200 दि. 1	
11	अजमेर	<p>1. दौलतराम एवं सुरेशचन्द के 40 फीट सड़क पर 107.94 वर्गगज आवासीय भूमि के व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में रिक्षितता प्रदान कराये।</p> <p>2. रेल्यै की सीना क्षेत्र में रेल्यै से श्री दसरद तलेवा ने भूखण्ड लीज पर लेकर व्यवसायिक निर्माण करा रहा है, इस निर्माण के लिये क्या नगर निगम भवन निर्माण स्वीकृति लेना आवश्यकता नहीं है।</p>	<p>3. विधान भव लाज बस्तुला पर्सन ला. प्रावधान उक्त आदेश में नहीं है।</p> <p>1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका सं. 1554 / 04 में पारित निष्प्रय दिनांक 12.01.17 के आदेशों के अनुसार निजी प्रयोजन के लिये मास्टरप्लान के अनुसत उपयोग से अन्य उपयोग हतु भू-उपयोग परिवर्तन करना निषेध दिया है। अत संदर्भित प्रकरण में निजी प्रयोजन के लिये आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करना अनुच्छेद नहीं है। किन्तु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 (2) के अनुसार दिनांक 15.09.2009 के जो भूमि जिस प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही थी उस प्रयोजनार्थ उपयोग की जा सकती है।</p> <p>2. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 में संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा नये जोड़े गये खण्ड (1-ए) तथा खण्ड (32-ए)निम्नानुसार है— (1-ए) "Authority" means the Rail Land Development Authority constituted under section 4A. (32-ए) "railway land" means any land in which a Government railway has any right, title or interest." उक्त संशोधित अधिनियम, 2005 द्वारा रेल्यै अधिनियम, 1998 की धारा 11 में नया खण्ड (32-ए) जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है— "(da) developing any railway land for commercial use." उपरोक्त नये जोड़े गये प्रावधान तथा धारा 11 रेल्यै अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे की सम्पत्ति में करवाये जा रहे व्यावसायिक निर्माण के लिये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 के अंतर्गत निर्माण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।</p>
12	अन्ता	गिरावटीय आदेश 1516-30 दिनांक 25.04.17 के विन्दु 1(vii) के अनुसार कृषि भूमि के पूर्व में जारी पट्टों के नवीनीकरण का उल्लेख है परन्तु उक्त आदेश में कच्ची बस्ती, स्टेटग्रान्ट एक्ट के पट्टों के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में पट्टों के नवीनीकरण हतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाये।	गिरावटीय आदेश दिनांक 25.04.17 के विन्दु 1(Vii) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे जिनका पूर्व में पंजीयन नहीं हुआ है ऐसे पट्टों का पुनर्वेद्य (रिवेलिडेटेड) करके पंजीयन कराया जा सकता है। उक्त आदेश के अंतर्गत स्टेट ग्रान्ट एक्ट कच्ची बस्ती के पट्टों को भी पुनर्वेद्य किया जा कर पंजीबद्ध कराया जा सकता है।
13	आलरापाटन	स्टेट ग्रान्ट की पूर्व की वर्ष 2016 से विचाराधीन पत्रावलियों में पहुंच अभियान के	स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे में 05 वर्ष तक वेचाने नहीं करने की शर्त अंकित करने के

		के निर्देशनुसार 05 वर्ष तक येचान निषेध की शर्त अंकित है ऐसे पट्टधारी उक्त शर्त को हटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तु कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यथा प्रक्रिया अपनाई जावे।	उपर्युक्त लक्षणों पर जारी रखा जाएगा कि भूमि संलग्न कर प्रस्ताव पृथक से भिजाये जावे।
14	लाखेरी	आकृषि प्रयोजन हेतु भूमि को 90—ए की कार्यवाही होने के उपरान्त कॉलोनाइजर द्वारा भूखण्डों का विकास कर बाहर छले गए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त कॉलोनियों में आन्तरिक विकास शुल्क बाबत नार्गदर्शन प्रदान करें।	राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 29 में प्रिमीयम, लोज, आन्तरिक/बाह्य विकास व्रमारों का बकाया राजस्थान भू—राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन भू—राजस्थान की बकाया के रूप में वसूल करने का प्रावधान है। तदनुसार कार्यवाही की जावे। यदि आन्तरिक विकास के पेटे 12.50 प्रतिशत भूखण्ड स्थानीय निकाय में समर्पित किये गये हैं तो खातेदार को नोटिस जारी कर 15 दिनांक के सम्बंध जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उक्त 12.50 प्रतिशत भूखण्डों को मिलाम कर आन्तरिक विकास शुल्क वसूल किया जाकर आन्तरिक विकास किया जावे। इसके अतिरिक्त कॉलोनी की विकास समिति अथवा भूखण्डधारियों स्वयं आन्तरिक विकास राशि जमा करना जावे तो उक्त राशि वसूल की जावे।
15	अन्ता	खसरा नम्बरान 28 कुल रकवा 28.80 हैं चरागाह भूमि राजस्थान विभाग द्वारा गैर सुमिक्षित आवादी का नामान्तरण सं. 827 दिनांक 28.05.13 से नगरपालिका को हस्तान्तरित हो चुकी है। उक्त भूमि के कब्जों के नियमन बाबत यथा प्रक्रिया अपनाई जावे।	नगरपालिका को उक्त हस्तान्तरित भूमि की अब राजस्थान रिकार्ड (जमावदी) में यथा किसी दर्ज है। यदि चरागाह से आवादी दर्ज हो चुकी है तो नगरपालिका उक्त भूमि का अपनी योजना में उपयोग कर सकती है। यदि राजस्थान रिकार्ड में चरागाह से आवादी दर्ज नहीं है तो तहसीलदार/जिला कलक्टर से सम्पर्क कर आवादी में दर्ज करवा कर भूमि का नियमानुसार उपयोग करे। यदि तक चरागाह भूमि की किसी परिवर्तित नहीं हो जाती है तब तक ऐसी भूमि पर कब्जो का नियमन नहीं किया जावे। इस सबध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी. सिविल (पी.आई.एल.) गांधिका संख्या 1554 / 2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित नियम दिनांक 12.01.17 व दिनांक 08.08.17 की पालना सुनिश्चित की जावे।
16	बरा	भूखण्ड सं. 13 क्षेत्रफल 233.33 बरगंज का पट्टा श्री पुलबोत्तम पुत्र गुजरामल को जारी किया गया था। रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवादी की मृत्यु हो गयी और अब पल्ली जानकी उक्त प्लाट का पट्टा व रजिस्ट्री अपने नाम करवाना चाहती है तो इस प्रकरण में यथा प्रक्रिया अपनाई जावे।	यदि उक्त पट्टा कृषि भूमि रूपान्तरण का है तो राजस्थान नगरपालिका (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार वारिसान के नाम अन्तरिक्त करने की कार्यवाही की जा सकती है तथा यदि पट्टा कृषि भूमि रूपान्तरण के अतिरिक्त है तो सम्पत्ति के वारिसान के नाम नामान्तरण के सामान्य प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
17	गंगानगर	करनपुर रोड के दोनों ओरके कब्जाधारियों के कब्जो सड़क के नद्य से 30-30 फीट	प्रकरण में विभाग के जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 23.09.13 के साथ राजस्थान नगर

३१०७०५ १०४६३ आदेश क्रमांक १०४६३ विभागीय आदेश क्रमांक १०४६३ दिनांक २३.०९.१३ द्वारा दी गई थी, लेकिन उक्त संठक का क्षेत्र मास्टर प्लान में व्यवसायिक दर्शा रखा है जिसके बारण गुलाब छोटाई के निर्णय दिनांक १२.११.१७ के अनुसार मास्टर प्लान अनुसार ही किया जा सकता है। अतः इनके नियमन बाबत वया प्रक्रिया अपनाई जावे।	पाठ्याचार अवधारणा का संख्या १०२ (८) अनुसार दिनांक १५.०९.०९ के पूर्व जिस प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है उस उपयोग हेतु नियमन किया जा सकता है। मास्टर प्लान लागू होने की दिनांक के पूर्व जो भूमि जिस प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही थी उस उपयोग को मास्टर प्लान वा कमिट्टेट व लाईफ्लैटी मानते हुए नियमन की कार्यवाही की जावे।	
१८ श्रीविजयनगर	याम पंचायत द्वारा १९६९ में भूखण्ड सं. ५९ का पहा अश्वनी कुमार, विजय कुमार, किशनलाल को जारी किया गया था। तत्पश्चात पट्टाधारियों ने आपसी बटवारे नामे के आधार पर दिनांक १४.०२.०६ को नामान्तरण दर्ज रिकार्ड कराया और भवन निर्माण स्वीकृति भी दिनांक ०२.०४.७६ को जारी की गई। उक्त भूखण्ड रेलवे लाईन से २०६ फीट की दूरी पर है एवं रेलवे सीमा से १८ फीट की दूरी है। इसके नामान्तरण व पंजीयन बाबत मार्गदर्शन करावे।	उक्त ग्राम पंचायत के पहे की रिकार्ड से जांच करके यदि विधिसम्मत एवं नियमानुसार जारी करना प्रमाणित है तो पहे की मान्यता नामी जावेगी। बटवारे नामे के आधार पर किये गये नामान्तरण के अनुसार पहे के उप-विभाजन की कार्यवाही नियमानुसार की जानी है। रेलवे लाईन से २०६ फीट की दूरी होने एवं रेलवे सीमा से १८ फीट दूर होने के बिन्दु पर मौके पर अन्य स्थित सरकारी/निजी सम्पत्तियों की जांच करे। यदि अन्य सरकारी व पटेशुदा निजी सम्पत्तियों की भवन रखा के भीतर ही उक्त प्रश्नगत पहे के मकानात हैं तो इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए प्रकरण एन्वार्ड कमेटी में रखा जाकर मौके की स्थिति अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावे।
१९ संदुलशहर	मण्डी विकास समिति के समय निलामी/आवंटन से विक्लय किये गये भूखण्डों की में राशि मण्डी विकास समिति में जमा करा दी गई लेकिन अनेक भूखण्ड धारियों को मण्डी विकास समिति द्वारा लीजडीड जारी नहीं की गई तथा अनेक ने बिना लीजडीड ही भूखण्ड आमे से आगे बेच दिया। उक्त क्षेत्र २००२ में नगरपालिका के अधिकार में आ गया। अब ऐसे प्रकरणों में लीजडीड के अभाव ने नामान्तरण किया जा सकता है या नहीं, मार्गदर्शन करावे।	ऐसे प्रकरणों में नगरीय विकास विभाग के जारी आदेश दिनांक २०.०५.१७ के बिन्दु सं. ०४ के प्रावधानों के अनुसार जार्यवाही की जा सकती है। इसके लिये प्रकरण विशेष का परीक्षण किया जावे तथा सारे हस्तों के साथ एन्वार्ड कमेटी के समक्ष रखा जाकर उक्त आदेश दिनांक २०.०५.१७ के प्रावधानों अनुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावे। ऐसे प्रकरणों में समस्त प्रकार की नियमानुसार देय राशि अंतिम कार्यवाही करने से पूर्व वसूल करना आवश्यक है।
२० हनुमानगढ़	<p>१. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक २०.०५.१७ के बिन्दु सं. ०४ में अंतिम क्रेता के पक्ष में आवंटित भूखण्ड की लीजडीड जारी करने के आदेश है। वया निलामी से विक्रयशुदा भूखण्ड पूरी राशि नगरपालिका में जमा कराने के पश्चात बेचान कर दिया है, वया ऐसे प्रकरणों में भी अंतिम क्रेता के पक्ष में लीजडीड जारी की जा सकती है।</p> <p>२. दिनांक १७.०६.९९ व उसके पश्चात की कॉलोनियों की ९०-ए के बाट ले-आउट प्लान समिति ने स्वीकृत किये गये हैं, लेकिन उन भूखण्डों का साईज ३०'x६०' है जबकि स्वीकृत</p>	<p>१. नगरीय विकास विभाग के उक्त आदेश दिनांक २०.०५.१७ में केवल आवंटन के भूखण्डों में ही अंतिम क्रेता से आवंटित दर की १० प्रतिशत राशि पेनेलटी के रूप में ली जा कर पहा जारी करने की छूट दी है। निलामी से विक्रयशुदा भूखण्डों के मामलों में यह छूट नहीं है। अतः ऐसे मामलों में राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निपादन) नियम १९७४ के प्रावधान अनुसार ही कार्यवाही की जावे।</p> <p>२. ऐसे मामलों में प्रकरण विशेष का परीक्षण किया जाकर स्वीकृत ले-आउट प्लान एवं मौके पर भूखण्ड की साइज में मामली अन्तर होने के तथ्य को तकनीकी जांच की जावे तथा स्वीकृत</p>

		<p>प्रभाग २ लाख ८० । आदेश का भूखण्ड स्वीकृत नवरों में दो भूखण्डों का भाग है। अतः निर्मित आवासों के अनुसार पट्टे जारी करने की गत अभियान में दी गई छूट अनुसार इस अभियान में भी शाईलता दी जावे।</p> <p>3. विभागीय आदेश दिनांक 25.04.17 में परिषिक्षण क्षेत्र में खातेदार को 500 वर्गमीटर तक के निर्मित आवास का निःशुल्क नियमन किया जाकर पट्टे देने के निर्देश दिये हैं। वया नगरपरिषद की बार्ड सीमाओं में स्थित खातेदार को भी ऐसे पट्टे दिये जा सकते हैं।</p> <p>4. परिषद क्षेत्र की कुल 23 कच्ची वस्तियों में से 6 कच्ची वस्तियां गैर योजना क्षेत्र में हैं जिनमें समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तो इन्हें डी-नोटिफाई कराने हेतु वया प्रक्रिया अपनाई जावे।</p> <p>5. वर्तमान अभियान में कच्ची वस्ति नियमन हेतु वर्ष 2004 के सर्वे के कब्जों को ही नियमन करने के आदेश हैं, जबकि गत अभियान में वर्ष 2009 तक के कब्जों का नियमन करने के आदेश थे। अतः मार्गदर्शन करावे।</p> <p>6. विभागीय आदेश दिनांक 25.04.17 के बिन्दु सं. ३ के अनुसार राजकीय भूमि पर 300 वर्गमीटर तक के कब्जों के नियमन के प्रावधान पर आदेश दिनांक 11.05.17 हारा रोक लगा दी गई है। अतः नियमन बाबत मार्गदर्शन प्रदान करावे कि ऐसे कब्जों के नियमन के संबंध में मास्टर प्लान के अनुरूप एवं सङ्केत की चौड़ाई रखने के 'जारी' किये प्रावधान क्या लागू किये जाने हैं?</p> <p>7. स्टेट ग्रान्ट एकट के अंतर्गत पट्टे हेतु आवेदनकर्ता का अन्य स्थान पर भू-खण्ड होने पर वया स्टेट ग्रान्ट का पट्टा दिया जा सकता है।</p>
21	नोहर	<p>वर्ष 2009 में कृषि भूमि रूपान्तरण के पट्टे हेतु तत्त्वमय की दर से नियमन/हस्तानान्तरण, लीज राशि जमा</p> <p>परिवारिक समझौतों के अनुसार लीजडल जारी की जा सकती है।</p>

		<p>का। द। यह लापता पारप्तात्पर अपनाम अ कारण लीजडीड जारी नहीं हुई। अब लीज डीड जारी जारी करने के लिये क्या वर्तमान दर अनुसार अन्तर राशि जमा की जानी है।</p>
22	श्रीकान्तेर	<p>श्रीमती कमला देवी सोनी व पूनम सोनी के मकान का आवासीय पट्टा है, उक्त क्षेत्र मास्टर प्लान में व्यवसायिक है। आवेदक आवासीय स्वीकृति चाहते हैं क्या वी जा सकती है।</p>
23	रायसिंहनगर	<p>खातेदारों द्वारा कृषि भूमि के ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का विक्रय कर दिया। तत्पश्चात् कुछ क्रेताओं ने अगले पक्ष को अपंजीकृत इकरारनाम से भूखण्डों को विभाजित कर विक्रय कर दिया। ऐसे अपंजीकृत इकरारनामे एवं विभाजित भूखण्डों के पट्टे बनाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जावे।</p>
24	अनूपगढ़	<p>वाडे सं. 3 से 6 की कच्ची वस्तियों के सर्वेदारी 110 वर्गमंज से अधिक भूमि के पट्टे देने एवं पट्टे में अहस्तान्तरणीय होने की शर्त हटाने की मांग कर रहे हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाई जावे।</p>
25	रायतसर	<p>1. मण्डी प्लानिंग क्षेत्र जो विगत अभियान में डी-प्लान किया गया था, उसके आवेदक धाजार दर से पट्टे बनवाने के इच्छुक नहीं हैं। उनकी मांग है कि उक्त योजना की भूमि को पालिका की नजूल भूमि मानते हुए 300 वर्गमंज तक के पट्टे आवक्षित दर पर दिये जावे। मार्गदर्शन प्रदान करावे।</p> <p>2. गत अभियान के दौरान जो कच्ची बस्तिया डी-नोटिफाइज की गई है, उनमें स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे जारी करना निषेध है, लेकिन आवेदक स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे देने की मांग कर रहे हैं कि जब पालिका की नजूल (आबादी) भूमि पर ऐसी कच्ची बस्ती विकसति हुई तो स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे क्यों नहीं दिये जाते जबकि अन्य नजूल (आबादी) भूमि पर हो रखे कब्जों के स्टेट ग्रान्ट के पट्टे दिये जाते हैं। मार्गदर्शन करावे।</p>

3. कर्त्ता वास्तवि। जनन मूल्य सुविधाएं हो चुकी हैं, ऐसी वित्तियों को डी-नोटिफाईड करने के अधिकार इस अभियान में नहीं दिये गये हैं। कृपया मार्गदर्शन देवें
4. ५३। कर्त्ता वास्तवि। जनन आधारमूल्य सुविधाएं प्रिक्सिल हो चुकी हैं उन्हें डी-नोटिफाईड करने की कार्यवाही अभियान हेतु गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा की जा सकती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जीवी सिविल (पीआईएल) संख्या 1554/2004 श्री गुलाम कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 12.01.2017 को पारित निर्णय में ग्रदान किये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
क्रमांक:भूमि/एफ.7(ड)(सामान्य)/डीएलबी/17/५२८५—५६७५ दिनांक: ०५/०९/२०१७

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
03. महापौर/समापत्ति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिकारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
05. उप निदेशक (लेत्रीय), समस्त राजस्थान।
06. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी